ऑनलाइन परीक्षा की अवधि, प्रश्न-पद्धति एवं मूल्यांकन प्रणाली:

ऑनलाइन परीक्षा की समयावधि 120 मिनिट होगी। दिव्या अंग आवेदकों के लिए समयावधि 160 मिनिट होगी। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न में उत्तर के चार विकल्प उपलब्ध होंगे जिसमें अभ्यर्थी को एक सही विकल्प पर क्लिक करना होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक काटे जायेगें। ध्यान दें कि परीक्षा कक्ष नकल की रोकथाम हेतु विभिन्न परीक्षार्थियों के प्रश्नपत्र में प्रश्नों के क्रम और विकल्प क्रम को भिन्न भिन्न रखा जाएगा।

उत्तर कुंजी पर आपत्ति का ट्रैकर (Objection Tracker):

क) ऑनलाइन परीक्षा के बाद सभी परीक्षार्थियों को लॉगइन के द्वारा उनके स्वयं की उत्तर पुस्तिका देखने और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का विकल्प दिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाईट पर Objection Tracker की समयावधि अधिसूचित की जाएगी एवं सभी परीक्षार्थियों को ईमेल/एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। परीक्षार्थी उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति 100 रुपए का शुल्क प्रति आपत्ति भुगतान कर दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति सही पाए जाने पर 100 का आपत्ति शुल्क परीक्षार्थी को वापस कर दिया जाएगा अन्यथा शुल्क जब्त माना जाएगा।

ख) उत्तर कुंजी की आपत्ति का समाधान करने के बाद संबंधित परीक्षार्थियों के प्राप्तांक को सुधारा जाएगा।

<u>नॉर्मलाइजेशन सूत्र :</u>

संविदा शिक्षक भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 21.10.2026 सम्पन्न हुई। अभ्यर्थियों की पंजीयन की संख्या के संदर्भ में यह पाया गया कि व्याख्याता (हिन्दी) तथा लैब सहायक की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। अतः इन दोनों पदों के एवं अन्य किसी पद की परीक्षा यदि किसी अपरिहार्य कारण से एकाधिक सत्र में आयोजित की गई तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक को नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा ।

Xn = (Sb/Sc)*(X-Xavg) + Yavg

सफिक्सि b और c बेस बैच और अभ्यर्थी के बैच को इंगित करता है।

S मानक विचलन को दर्शाता है।

X और Xavg अभ्यर्थी के मूल प्राप्तांक और उस बैच का औसत अंक को दर्शाता है।

Yavg बेस बैच के औसत अंक को दर्शाता है।

Xn= अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज़्ड अंक।

नोट : 1. नॉर्मलाइज़्ड अंक की गणना दशमलव के बाद 7 अंक तक की जाएगी।

2. नॉर्मलाइज़्ड अंक प्रश्नपत्र के अधिकतम अंक तक सीमित होंगे ।

टाई-ब्रेकर:

उन मामलों में जहाँ ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे, वहाँ उन अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा:

1. जन्मतिथि के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी – अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी ।

2. यदि जन्मतिथि भी समान हो तो मूल शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी– अधिक प्रतिशत को वरीयता दी जाएगी।